

F. No. 1(5)/2018-SP-I
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
Department of Food and Public Distribution

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated 16th August, 2018

To
The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri, Ring Road,
New Delhi.


Subject: Publication of Notification in the Gazette of India Extraordinary, Part I, Section I.

Sir,

I am to forward herewith Notification F. No. 1(5)/2018-SP-I (Hindi and English Versions) and to request you to ensure that the Notification is published in today's edition of the Gazette of India Extraordinary Part I, section 1. You are also requested to upload this Notification on egazette.nic.in portal immediately.

Encl: Notification (Hindi and English version)

Yours faithfully,



(Suresh Kumar Vashishth)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: 23382512

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1 में प्रकाशनार्थ]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना


नई दिल्ली, दिनांक 16 अगस्त, 2018

सं.1(5)/2018-एसपी-1: केंद्र सरकार ने गन्ने की लागत की भरपाई करने और चीनी मौसम 2017-18 के लिए किसानों को देय गन्ना मूल्य का समय से भुगतान सुनिश्चित करने की दृष्टि से दिनांक 09.05.2018 की अधिसूचना सं.1(5)/2018-एसपी-1 द्वारा चीनी मिलों के लिए सहायता की स्कीम अधिसूचित की थी।

2. अब दिनांक 09.05.2018 की उक्त अधिसूचना के पैरा 6 के अनुसरण में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि अधिसूचना के पैरा 3 (v) को निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

“यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहायता की राशि किसानों के खातों में सीधे जमा कराई जाए, चीनी मिल राष्ट्रीयकृत बैंक/सहकारी बैंक में एक अलग नो-लियन(No-Lien) खाता खोलेगी और उक्त बैंक को किसानों के बैंक खातों के विवरण तथा उचित और लाभकारी मूल्य के संबंध में वर्तमान चीनी मौसम 2017-18 के लिए देय गन्ना मूल्य बकाया की सीमा और पिछले चीनी मौसमों की गन्ना मूल्य बकाया की राशि, जो संबंधित राज्य के गन्ना आयुक्त/शर्करा निदेशक द्वारा विधिवत प्रमाणित हो, की सूचना देगी।”

[फाइल सं. 1(5)/2018-एसपी-1]



(सुरेश कुमार वशिष्ठ)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार